न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर–2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गैजी, तहसील दूदू
शिविर प्रभारी अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 21/2017
वाद दायरी दिनांक : 08/03/2017
निर्णय दिनांक : 30/05/2017

लादू पुत्र सत्यनारायण, जाति जाट, निवासी नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।

-- वादी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा

(अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत
श्री रामजीलाल शर्मा
श्री संजय सिंह सिरोही
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 30/05/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 32 के आराजी खसरा नम्बर 143, 144, 145, 146, 147, 148, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 328, 365, 366, 366/897, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 644 कुल किता 27 कुल रकबा 10.9500 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नोल्या, तहसील दूदू में स्थित है, जिसमें वादी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम सत्यनारायण है, लेकिन सहवन से उक्त राजस्व अभिलेखों में वादी के पिता का नाम राजस्व कारकुनानों द्वारा खाता संख्या 32 पुराना खाता संख्या 74 में सिद्धनारायण तथा खाता संख्या 60 में श्रीनारायण अंकित कर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

दिया जो कि गलत है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है तथा उक्त नाम वादी के पिता के ही गलत रूप से दर्ज किये गये है, उक्त नाम का कोई व्यक्ति ग्राम नोल्या में नही रहा है न ही वर्तमान समय में हैं। वादी के समस्त दस्तावेजात यथा मतदाता सूची, राशनकार्ड, पहचान–पत्र, आधारकार्ड आदि सभी दस्तावेजों में वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम सत्यनारायण ही दर्ज है, जिससे भी साबित है कि जो राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम सिद्धनारायण व श्रीनारायण दर्ज किया गया है, वह मात्र् राजस्व कारकुनानों की भूलवश लेखनीय अशुद्धि से हुआ है, जो दुरूस्तनीय हैं। दिनांक 22/01/2016 को वादी ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई इस पर वादी ने तहसीलदार दूदू के यहां दुरूस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया तो दुरूस्ती से इन्कार हो गये, जिस पर वादी ने एक वाद उनवानी लादूराम बनाम तहसीलदार मुकदमा नम्बर 12/2016 खाता संख्या 32 व 60 की आराजी बाबत पेश किया जो दिनांक 27/05/2016 को माननीय न्यायालय द्वारा वादी के वाद को डिक्री कर दिया गया, जिसकी सूचना वादी के अधिवक्ता द्वारा नही दी गयी जब नकल दिनांक 27/05/2016 को प्राप्त कर निर्णय की पालना में तहरीर तहसीलदारजी दूदू से प्राप्त कर पटवार हल्का को दी तो पटवार हल्का ने खाता संख्या 32 की पालना करने से यह कहते हुये मना कर दिया कि खाता संख्या 32 में आराजी खसरा नम्बर किता 27 व रकबा 10.9500 हैक्टेयर है, जबकि निर्णय दिनांक 27/05/2006 में कुल किता 06 कुल रकबा 3.1700 हैक्टेयर ही दर्ज है, इसलिये निर्णय की पालना खाता संख्या 32 में किया जाना संभव नही है, माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सम्पूर्ण आराजी खाता संख्या 32 पुराना संख्या 74 पर लागू नही होता है, जिसकी जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03/02/2017 को वादी को देने के कारण वादी द्वारा नकल जमाबन्दी व निर्णय दिनांक 27/05/2016 की नकल प्राप्त कर वाद पेश किया हैं।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि विवादित आराजी वर्णित वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम सिद्धनारायण का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर सत्यनारायण दर्ज किया जावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार दूदू को भिजवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 30/05/2017 को पत्रावली अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गैजी में पेश हुई। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। वकील वादी द्वारा साक्ष्य गवाहान के शपथ–पत्र पेश किये गये।

विद्वान अधिवक्ता वादी तथा पैरोकार राज की बहस कैम्प कोर्ट गैजी में मजमा–ए–आम में सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी चालू, नकल वाद–पत्र एवं निर्णय दिनांक 27/05/2016, की प्रमाणित प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत गैजी तथा पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 32 में खातेदार लादू पुत्र सिद्धनारायण हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 देह दर्ज है, निर्णय दिनांक 27/05/2016 के अवलोकन से पाया जाता है कि उक्त खाता संख्या 32 के पुराना खाता संख्या 74 के खसरा नम्बर 143 लगायत 148 में दर्ज खातेदार लादूराम के पिता का नाम सिद्धनारायण के स्थान पर सत्यनारायण दर्ज किया गया है, जबकि उक्त खाता संख्या 74 में ओर खसरा नम्बर भी दर्ज थे, जिनका वरवक्त वाद–पत्र वादी द्वारा इन्द्राज नही किये जाने से दुरूस्त होने से रह गये है, इसलिये अब उक्त जो नम्बर दुरूस्ती से रह गये है, उसके बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र पेश किया गया हैं। जिसके समर्थन में ग्राम पंचायत गैजी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पेश किया है, जिसके अनुसार लादूराम के पिता का सही एवं वास्तविक नाम सत्यनारायण है। मजमे आम में जानकारी करने पर यह पाया गया कि वादी के पिता का वास्तविक नाम सत्यनारायण ही हैं, जो पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 21/2017 के द्वारा भी दुरूस्त किया जा चुका हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान से भी वादी के वाद की ताईद होती है तथा तहसीलदार दूदू द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी वादी के वाद में चाहे गये अनुतोष बाबत अनुशंषा की गयी हैं। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 32 के आराजी खसरा नम्बर 143, 144, 145, 146, 147, 148, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 328, 365, 366, 366/897, 367, 368,

Scanned by CamScanner

369, 370, 371, 372, 373, 644 कुल किता 27 कुल रकबा 10.9500 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर में दर्ज वादी के पिता का नाम सिद्धनारायण को हजफ किया जाकर सत्यनारायण दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/17 को अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गैजी में मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

मुद्रा

शिविर प्रभारी/उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 3... ...2

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

...अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू मुकाम दूदू, जिला जयपुर

...इजलास श्री त्रिलोक चन्द मीना (आर.ए.एस.)

...गाडू पुत्र सत्यनारायण, जाति ... बनाम तहसीलदार जी, तहसील दूदू

...जाट, निवासी नरेना दावा बाबत घोषणा 88

मुकदमा नं. 21 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत वकील वादी

...हाजिरी पेशकार सरकार भिनजानिब मुद्दई रूबरू

भिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

...वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी

...खाता सं. 32 की आराजी खसरा नम्बर 143, 144, 145, 146, 147, 148, 245,

...246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 328, 365, 366, 366/897,

...367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 644 कुल किता 27 कुल रकबा 10.9500 हैक्टेयर

P.T.O

बाबत

... मुबलिग फीसदी ...ना आज की तारीख से

...इस मुकदमें के मय सूद वशरह

... का अदा करें।

...तारीख अदायगी तक

...दस्तखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 05 सन् 2017 को

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
...स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
...स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
...स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
...महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
...खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
...फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
...मुतफरिक					
			मीज़ान		
मीज़ान					

...इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

वाके ग्राम नोलमा, तहसील दूदू, जिला जयपुर में दर्ज वादी के पिता का नाम सिद्धनारायण को हजफ किया जाकर सत्यनारायण दर्ज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी दूदू (जिला जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर